न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 6/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रोल तहसील जायल।	तहसीलदार जायल।	

उपस्थिति :–

1. श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 16.01.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 402/16 सरकार बनाम रामप्रकाश में निर्णय दिनांक 09.01.17 के तहत मौजा रोल के खसरा नं. 252 रकबा 2 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.1.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.01.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–आदेश जैर अपील विरूद्व कानून व हालात मामला के है जो निरस्तनीय है।

2}(II)–नोटिस में यह उल्लेख नही है कि अपीलांट ने कब अतिक्रमण किया है व किस प्रकार किया है, कोई उल्लेख नही है तथा नोटिस प्रिन्टेड फार्म पर है जिसमें कब्जा करने की जगह खाली जगह है व केवल 207 लिखा है आगे सन लिखने का अक्षर नही लिखा है सो जवाब देना संभव ही नही था। इसके अलावा दिनांक 29.11.16 को प्रार्थना पत्र देकर वकील अपीलांट ने पूर्व की पत्रावली रिमाण्ड होकर आई है। जिस पर कोई निर्णय नही किया है। सो दोनो पत्रावलियों को साथ करके निर्णय किया जाये। मगर इसका कहीं आदेश तालिका में उल्लेख नही है। जैसे यह प्रार्थना पत्र किया ही न हो। मगर प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलांट के पास है। सो यह नही कहा जा सकता कि ऐसा प्रार्थना पत्र नही किया गया। जब यह प्रार्थना पत्र किया गया तो इस पर आदेश भी करना आवश्यक था जो सरासर बदयान्तीपूर्ण है तथा जब मामला पहले से विचाराधीन है तो नया मामला किस कारण से खोला गया। इसलिये सारी कार्यवाही ही अवैध है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–वकील अपीलांट की बहस कभी नही सुनी, ऐसा उल्लेख आदेश तालिका दिनांक 03.01.17 में है मगर उस पर वकील अपीलांट के हस्ताक्षर नही है तथा दिनांक 09.01.17 की आदेश तालिका में वकील अपीलांट के हस्ताक्षर कराये है। जिसमें लिखा है कि अप्रार्थी ने जवाब पेश नही किया है। सो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। जब बहस पहले सुन ली तो उस दिन जवाब कैसे मांग रहे थे। इससे भी हास्यास्पद है कि वकील की उपस्थिति दर्ज की है व इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है जो यह जाहिर करता है कि वकील के हस्ताक्षर खाली आदेश तालिका पर कराये है। इसलिये भी वह पूरी कार्यवाही अवैधानिक व विधि विरूद्व है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर कोई जांच नही की न साक्ष्य ली है। पटवारी हल्का के बयान तक नही लिये है। न मौका मुआयना किया है। न अपीलांट को जवाबदेही का अवसर दिया है। न साक्ष्य ली है न पूर्व की पत्रावली साथ की है तथा वह अभी तक विचाराधीन है, रिमाण्ड होने के बाद अपीलांट को नोटिस भी दिनांक 01.08.12 व दिनांक 04.09.12 को पेशी दिनांक 14.08.12 व दिनांक 03.10.12 के लिये दिये है। मगर कभी पत्रावली पेशी पर नही आई न उस पर कोई निर्णय हुआ सो पूर्वी कार्यवाही विधि विरूद्व है। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–पहले की कार्यवाही रामनिवास पुत्र फताराम माली निवासी रोल की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उसका कहना था कि उसके खेत खसरा नं. 242 के पूर्व में खसरा नं. 251 व 250 में होता हुआ

अपर कलक्टर, नागौर

रास्ता उसके खेत के लिये खसरा नं. 252 गै.मु. मगरा तक जाता है तथा मगरा में मुडिया रोड है। इस रास्ता पर अपीलांट व जयप्रकाश पुत्र भूराराम ने खसरा नं. 252 गै.मु. मगरा पर अतिक्रमण करके उसके रास्ता को रोक दिया है। जबकि ऐसा कोई रास्ता उसके खेत तक जाने का कभी नही था न अब है। उनका कहना था कि खसरा नं. 240 अपीलांट की खातेदारी का है। जो उसके खेत व खसरा नं. 250 व 251 के बीच पडता है। सो उधर से उसका रास्ता का प्रश्न ही नही है। उसके खेत के दक्षिण में खसरा नं. 243 पड़ता है जो सरकारी खुली भूमि है। उस पर चलकर वह रास्ते पर जाता है जो भी कटाणी है व मुडिया सडक है। वह चाहता है कि खसरा नं. 252 गै.मु. मगरा में से 600 गज भूमि जो अपीलांट को 9000 रू. कीमत अदा करके आवंटन की है व उसकी खरीदसुदा भूमि के बीच में से रास्ता कायम करे। वह मात्र राजनेतिक द्वेषतावश विरोधी पक्ष के कहने से कर रहा है तथा वह स्वयं राजनेतिक अपीलांटान का विरोधी है। अपीलांट के विरोधी पक्ष का यह रामनिवास है। इधर उसका कोई मार्ग नही है। इस मामला में तहसीलदार ने गलत रूप से दिनांक 14.06.2000 को खसरा नं. 242 से 252 तक रास्ता की तरमीम नक्शा में की जाये जो अस्पष्ट आदेश है न ऐसा आदेश करने का अधिकार ही तहसीलदार को है। जिसके विरूद्व अपील में अपीलांट गया व न्यायालय हाजा ने इस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्व शिकायतकर्ता श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी नागौर में अपील में गया वह भी अस्वीकार की गई व माननीय राजस्व मंडल अजमेर में वह निगरानी में गया तो मामला रिमाण्ड किया गया व अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय करने का आदेश दिया जो अभी तक निर्णीत नही किया हैं। सो पहले वह पत्रावली फैसल होनी चाहिये थी। जो बावजूद प्रार्थना पत्र के भी नही की गई है व नई पत्रावली खोल दी। सो अवैध है व आदेश निरस्तनीय है।

{2}(VI)–सभी कागजात व पूर्व की पत्रावलियों से साबित है कि अपीलांट का कब्जा 20 वर्ष से ज्यादा पुराना है। सो कब्जा उसका नियमन योग्य भी है। उस नजर से भी मामला को देखना चाहिये मगर ऐसा कुछ भी अधीनस्थ न्यायालय ने नह किया।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम रोल में स्थित राजकीय मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रोल के खसरा नंबर 252 रकबा 2 बीघा गैर मुमकिन मगरा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर